

श्री. लीला कलवटर (पुष्पासन)
 श्रीगंगानगर (राज.)
 कायालय टिपणी
 अपील इंतकाल प्रकरणा संख्या १२/२०१३
 बनाम यू.आई.टी. गंगानगर व अन्य
 विद्या सागर कॉलेज



15.10.15

अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। यू.आई.टी. के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के साथ जी.बी. सिविल स्पे. अपील रिट नं 1806/2014 आदेश 18.08.2015 की फाट्टे प्रति पेश कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया जा चुका है। अतः वर्तमान प्रकरण में कार्यवाही स्थगित करने के आदेश पारित किये जावें। सुना गया। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर का स्थगन आदेश दिनांक 18.08.2015 प्रभावी होने एवं जी.बी. सिविल स्पे. अपील रिट नं 1806/2014 विचारधीन होने से, हस्तगत अपील प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय होने तक मौजूदा अपील की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय/आदेश प्राप्त होने पर/उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत करने पर नियमानुसार निर्णय की पालना में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

इसी स्तर पर हस्तगत अपील प्रकरण उपरोक्तानुसार निरस्तित किया जाकर नम्बर से कम किया जावे व बाद तकमील देखिल दफतर हो। आदेशिका की प्रति सचिव, नगर विकास न्याय श्रीगंगानगर तहसीलदार, श्रीगंगानगर को भेजी जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्री. लीला कलवटर (पुष्पासन)
 श्रीगंगानगर (राज.)

